

मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री जवाहरलाल जैन आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी  
प्रकरण सं. 98/2020 वादपत्र धारा 88 आर.टी.एक्ट. 1955

महेश कुमार पिता ज्ञानीराम तेली नि. बडवल तह. बड़ीसादड़ी

— वादी

॥ बनाम ॥

- 1— ज्ञानीराम पिता जगन्नाथ तेली नि. बडवल तह. बड़ीसादड़ी
- 2— भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

— प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील अनिल सोनावा व प्रतिवादी की ओर से वकील आर.एस. पुजारी की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा टेकडियो का फला पटवार हल्का केवलपुरा की खाता सं. 8(नई) खाता सं. 42(पुरानी) की आराजी नं. 22, 42, 44 कुल किता 3 कुल रकबा 0.1600 हैक्ट. तथा खाता सं. 33 (नई) खाता सं. 36(पुरानी) की आ.नं. 24, 27, 28 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5500 हैक्ट. में विपूल कुमार पिता ज्ञानीराम तेली के बजाय महेश कुमार पिता ज्ञानीराम तेली घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे.....X. प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित.....X. को दी जावे।  
यह आज दिनांक...06-7-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



(जवाहरलाल जैन)  
सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2021/ 105

दिनांक 06.7.21

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(जवाहरलाल जैन)  
सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

